

## FORM NO. |||

फर्दअहकाम  
नियम (26)

अज अदालत..... उपखण्ड अधिकारी..... मुकाम.....  
 भगवती बाई वनाम सरकार..... किरम मु०.....  
 मिसल न० 128/2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिषियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकामजोहुकम की तामील में जारी हुए
10/12/25	<p>प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत पण्डित दीनदयाल उपाध्याय संबल पखावाडा 2025 के द्वारा प्राप्त हुआ । जिसमे प्रार्थी भगवती बाई पुत्री नाथ्या ने प्रा० पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के हिस्से की भूमि में प्रार्थी का नाम भगवती बाई पुत्री नाथ्या नि० किशनपुरा नाम दर्ज है। ग्राम किशनपुरा की जमांबदी सवत् 2073 से 76 के खसरा नबर 322,327 में काश्तगार का नाम भगवती बाई पुत्री नाथ्या दर्ज है। जिसकी शुद्धि के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया है उक्त प्रकरण की संबधित पटवारी भूअभि. निरीक्षक क्षेत्र द्वारा दुरस्ती करने अनुशंसा की गई । अतः तहसीलदार पीपल्दा की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का नाम भगवती बाई पुत्री नाथ्या के स्थान पर भगवती बाई पुत्री नाथूलाल दर्ज किया जावे। निर्णय आज दिनांक 10/12/25 को सरे इजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।</p>	

# FORM NO. |||

फर्दअहकाम

नियम (26)

अज अदालत.....उपखण्ड अधिकारी.....मुकाम.....

रमेशचन्द बनाम सरकार .....किस्म मु०.....

मिसल न०.....128/1025.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकामजोहुक्म की तामील मे जारी हुए
-------------	-----------------------------------	---

10/12/25 प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत पण्डित दीनदयाल उपाध्याय संबल पखावाडा 2025 के द्वारा प्राप्त हुआ । जिसमे प्रार्थी रमेशचन्द पुत्र नाथ्या ने प्रा० पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के हिस्से की भूमि में प्रार्थी का नाम रमेशचन्द पुत्र नाथ्या नि० इटावा नाम दर्ज है। ग्राम फतेहपुर की जमांबदी सवत् 2073 से 76 के खसरा नबर 322,327 में काशतगार का नाम रमेशचन्द पुत्र नाथ्या दर्ज है। जिसकी शुद्धि के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया है उक्त प्रकरण की संबधित पटवारी भू.अभि. निरीक्षक क्षेत्र द्वारा दुरस्ती करने अनुशंसा की गई । अतः तहसीलदार पीपल्दा की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का नाम रमेशचन्द पुत्र नाथ्या के स्थान पर रमेशचन्द पुत्र नाथूलाल दर्ज किया जावे। निर्णय आज दिनांक...11/12/25..... को सरे इजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।



## FORM NO. |||

फर्दअहकाम

नियम (26)

अज अदालत..... उपखण्ड अधिकारी..... मुकाम.....  
 केलाशचन्द्र वनाम लाला..... किस्म मु०.....  
 मिसल न० 128/2025.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिपियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकामजो हुक्म की तामील मे जारी हुए
-------------	-----------------------------------	--

10/12/25

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत पण्डित दीनदयाल उपाध्याय संबल पखावाडा 2025 के द्वारा प्राप्त हुआ । जिसमे प्रार्थी केलाशचन्द्र पुत्र नाथ्या ने प्रा० पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के हिस्से की भूमि में प्रार्थी का नाम केलाशचन्द्र पुत्र नाथ्या नि० इटावा नाम दर्ज है। ग्राम फतेहपुर की जमांबदी सवत् 2073 से 76 के खसरा नंबर 322,327 में काश्तगार का नाम केलाशचन्द्र पुत्र नाथ्या दर्ज है। जिसकी शुद्धि के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया है उक्त प्रकरण की संबधित पटवारी भूअभि. निरीक्षक क्षेत्र द्वारा दुरस्ती करने अनुशंसा की गई । अतः तहसीलदार पीपल्दा की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का नाम केलाशचन्द्र पुत्र नाथ्या के स्थान पर केलाशचन्द्र पुत्र नाथुलाल दर्ज किया जावे। निर्णय आज दिनांक..10/12/25 को सरे इजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।



## FORM NO. III

फर्टाइलर  
नियम (28)

अज अदाकृत  
गिरार्जप्रसाद  
वनाम २१८१/८  
मिसल न० १२४/२०२५  
उपखण्ड अधिकारी  
मुकाम  
किरम सु०

तारीख हुकम  
हुकम या कार्यवाही का दिनांक

नंबर व तारीख  
अनुशासक/दुसरे की  
तारीख व जारी हुए

10/12/25 प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत पण्डित दीनदयाल उपाध्याय संबल  
पखावाडा 2025 के द्वारा प्राप्त हुआ । जिसमें प्रार्थी गिरार्जप्रसाद पुत्र  
नाथ्या ने प्रा० पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व अभिलेख में  
प्रार्थी के हिस्से की भूमि में प्रार्थी का नाम गिरार्जप्रसाद पुत्र नाथ्या  
नि० इटावा नाम दर्ज है। ग्राम फतेहपुर की जमाबंदी सवत् 2073 से  
76 के खसरा नंबर 322,327 में काश्तगार का नाम गिरार्जप्रसाद पुत्र  
नाथ्या दर्ज है। जिसकी शुद्धि के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया है उक्त  
प्रकरण की सम्बन्धित पटवारी भूअभि निरीक्षक क्षेत्र द्वारा दुरस्ती  
करने अनुशंसा की गई । अतः तहसीलदार पीपल्दा की रिपोर्ट के  
आधार पर प्रार्थी का नाम गिरार्जप्रसाद पुत्र नाथ्या के स्थान पर  
गिरार्जप्रसाद पुत्र नाथूलाल दर्ज किया जावे। निर्णय आज दिनांक 10/12/25 को सरे इजलास सुनाया गया । पत्रावली फंसल शुमार  
होकर दाखिल दफतर हो।

